पत्र स0–TRU/Works Contract followup. Circular No.62 Dated 26 July, 2019/ 70 /वाणिज्य कर ।

कार्यलय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(कर अनुसंधान इकाई)
लखनऊ::दिनांक:: 16 अगस्त, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

विषय :–जी0एस0टी0 व्यवस्था में सरकारी विभागों को माल एंव सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल रुपपत्रों GSTR-1 व GSTR-3B घोषित आँकड़ो में पायी गयी विसंगतियों के सम्बंध में अपेक्षित कार्यवाही तथा अपेक्षित राजस्व जमा कराये जाने के अनुश्रवण हेतु आनलाइन माड्यूल के सम्बंध में।

संदर्भित प्रकरण में मुख्यालय के परिपत्र संख्या टी0आर0यू0/वर्क्स कान्ट्रैक्ट(2019–20)/62/वाणिज्य कर दिनांक 26/07/2019 द्वारा अपेक्षित कार्यवाही हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे । इस परिपत्र के माध्यम से मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायें गये आकड़ो का मिलान सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से किये जाने तथा आकड़ो में विसंगति पाये जाने की स्थति में टी0आर0यू0 को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी थी। अभी तक किसी भी जोन से मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आकड़ो में कोई विसंगति टी0आर0यू0 को सूचित नहीं की गयी है।

(i) कुछ कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि, कुछ मामलों में GSTR-1 त्रैमासिक दाखिल हैं, जबकि GSTR-3B मासिक हैं, इस कारण आकड़ो में भिन्नता हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि, ऐसी स्थिति केवल रु0 डेढ़ करोड़ वार्षिक से कम टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्तियों के मामलों में ही संभव है, इस प्रकार के मामलों में प्रत्येक तिमाही के त्रैमासिक GSTR-1 का मिलान संगत तिमाही के सभी मासिक GSTR-3B के योग से करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाए। रुपये डेढ़ करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्तियों के सम्बंध में यह स्थिति नहीं होगी।

(ii) कुछ जोन से दूरभाष पर अवगत कराया गया है, कि मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आकड़ो में कुछ मामले केन्द्रीय कर प्रशासन के क्षेत्राधिकार से भी सम्बन्धित हैं, तत्सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों में State/Central Jurisdiction स्पष्ट रुप से अंकित है । केन्द्रीय कर प्रशासन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को आसानी से अलग किया जा सकता है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय अधिकारियों से केवल राज्य कर प्रशासन के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में ही कार्यवाही अपेक्षित है ।

2– परिपत्र संख्या–टी0आर0यू0/वर्क्स कान्ट्रैक्ट(2019–20)/62/वाणिज्य कर दिनांक 26/07/2019 से सभी वंछित GSTR-7 जमा कराने की अपेक्षा की गयी हैं। तत्सम्बंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जिस टैक्स पीरियड में टी0डी0एस0 कटौती की गयी है, उस आहरण वितरण अधिकारी के लिए केवल उसी टैक्स पीरियड का GSTR-7 दाखिल करना विधिक रुप से अनिवार्य हैं। जिस माह में कोई टी0डी0एस0 कटौती नहीं है, उस माह का GSTR-7 दाखिल किया जाना अपेक्षित नहीं है। उल्लेखनीय यह हैं, कि माह अक्टूबर 2018 से जुलाई 2019 तक के GSTR-7 दाखिल करने की तिथि 31 अगस्त 2019 तक बढ़ायी गयी है। स्पष्ट है कि GSTR-7 दाखिल करने की तिथि बढ़ाया जाना ऐसे आहरण वितरण अधिकारियों, जिनके द्वारा पूर्व माहो के GSTR-7 दाखिल नहीं किए गये हैं, के लिए सुअवसर भी हैं क्योंकि बढ़ाई गयी समय सीमा के अन्दर GSTR-7 दाखिल कर दिए जाने पर ब्याज एवं अर्थदण्ड की देयता नहीं होगी। अतः उचित होगा कि स्थानीय स्तर पर उक्त तथ्य सम्बन्धित जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुये अधिक से अधिक सरकारी विभागों से अपेक्षित GSTR-7 दाखिल कराने हेतु प्रयास किया जाए।

3– टी0आर0यू0/वर्क्स कांन्ट्रैक्ट(2019–20)/62/वाणिज्य कर दिनांक 26/07/2019से प्रकरण के अनुश्रवण हेतु आनलाइन माड्यूल डेवलप करने की अपेक्षा आई0टी0 अनुभाग से की गयी थी। आई0टी0अनुभाग द्वारा वर्क्स कांन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग माड्यूल डेवलप कर दिया गया है, जिसकी प्रकिया निम्नवत है:–

- कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा विभागीय पोर्टल comtax.up.nic.in पर उपलब्ध "Departmental services" के अन्तर्गत "Dealer Monitoring Module" के Link पर जा कर पूर्व से प्रयोग किये जा रहे User ID व Password से Login किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

- Login करने के पश्चत Main Menu में उपलब्ध Disposal के Sub Menu Link "Works Contract Dealer Monitoring" के Link पर Click करके सम्बन्धित माह व वर्ष का चयन Dropdown से करते हुए Search के Button पर Click करने पर सभी कर निर्धारण अधिकारियों को उनके अधिक्षेत्र से सम्बन्धित व्यापारियों का विवरण उपलब्ध हो जायेगा।
- उपलब्ध विवरण में प्रत्येक पंक्ति के अन्तिम Column में उपलब्ध Action के Button पर Click करने पर Popup में की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित विवरण अंकित करने से सम्बन्धित Entry Screen उपलब्ध हो जायेगी।
- Popup में उपलब्ध Screen में Action सम्बन्धित Dropdown में तीन विकल्प उपलब्ध होंगे :–

(a) Non Verified:– माड्यूल में उपलब्ध कराये गए आंकड़ो का कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर परीक्षण किये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रकरण अग्रिम कार्यवाही योग्य नहीं पाया जाता है, तब इस विकल्प का चयन करते हुये Reason Field में कारण अंकित किया जायेगा।

(b) Verified & Notice Given:– ऐसे सभी मामले, जिनमें माड्यूल में उपलब्ध कराये गए आंकड़ो के परीक्षण के उपरान्त प्रकरण कार्यवाही योग्य पाया जायेगा तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु Notice जारी किया जायेगा, के सम्बन्ध में इस विकल्प का चयन किया जायेगा ।

इस विकल्प का चयन करने पर नोटिस संख्या, नोटिस की तारीख तथा सुनवाई / स्पष्टीकरण हेतु अन्तिम दिनांक अंकित कर Submit किया जायेगा।

(c) Verified & Amount Deposit:– सम्बन्धित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा धनराशि जमा कर दिये जाने पर इस विकल्प का चयन करते हुये DRC-03/DRC-07 के अनुरूप जमा CGST, SGST, IGST की राशि का Tax, Penalty, Interest के हेड में अलग–अलग अंकन किया जायेगा।

4– कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही को अंकित करने के पश्चात अन्तिम रुप से Save करने हेतु Submit Finally का Button Click किया जायेगा । इस Button पर Click करने से पूर्व तक अधिकारी को Edit करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

Works Contract से सम्बन्धित रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही का अनुश्रवण उक्त माड्यूल में अंकित विवरणों के आधार पर ही किया जायेगा । माड्यूल से सम्बन्धित किसी समस्या की स्थिति में आई0टी0 अनुभाग की Mail ID:– ctithqlu-up@gov.in पर E-mail कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(अमृत सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
2. ज्वाइन्ट डायरेक्टर (संख्या) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को आगामी मासिक बैठक के एजेन्डे में इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा के बिन्दु को शामिल करने हेतु।

(संजय कुमार पाठक)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(टी0आर0यू0)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

Scanned by CamScanner